

संख्या 15/1/2018-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पब्लिक अनुभाग

\* \* \*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1  
दिनांक ०९ जनवरी, 2018

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/  
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,  
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में  
अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन - के संबंध में।

— — —  
महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, में से प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 इस मंत्रालय की वेबसाइट [www.mha.nic.in](http://www.mha.nic.in) पर भी उपलब्ध हैं)। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

2. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक क्षयहारिक समस्या है। अतः, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुरूप,

जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। आपसे यह भी अनुरोध है कि प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक - यथोपरि

वी.के.राजन

(वी.के. राजन)

उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. 23094376

प्रति प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

वी.के.राजन

(वी.के. राजन)

उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. 23094376